

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स मैटिकुलस ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रस्तावक, श्री दीपेंद्र सिंह, निदेशक, पता-53, कांताघर पचपेंडा, आशिक कांटाघर पचपेंडा, मुरादाबाद, उ0प्र0 के द्वारा बदुआ नदी यूनिट सं0-03 बालू घाट, मौजा-कसवावसीला, ब्लॉक-चान्दन, जिला-बाँका में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 25.07.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार चान्दन, जिला-बाँका के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2322/2023, दिनांक 22.02.2023 के आलोक में श्रीमती प्रतिभा कुमारी, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बाँका की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)**

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा-"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "दैनिक जागरण", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 22.06.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नोतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सौशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिविलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा बदुआ नदी यूनिट सं0-03 बालू घाट, मौजा-कसवावसीला, ब्लॉक-चान्दन, जिला-बाँका में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री दीपेंद्र सिंह, निदेशक को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा यूनिट सं0-03 में 27.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 576720 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 508.8 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के यूनिट सं0-03 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

2

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं नमी की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 3 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

+



परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री इन्द्रदेव यादव, मुखिया-कसवावसीला, बाँका के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना में पर्यावरण की सुरक्षा, सिंचाई में दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था तथा काम में स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने का अनुरोध किया गया।	नियमानुसार खनन की कारवाई की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना में अर्द्धयांत्रिक विधि से खनन कराया जायेगा जिसमें उपकरणों के साथ मजदूरों का भी सहयोग लिया जायेगा।
2.	श्री कौशल कुमार सिंह, चान्दन, बाँका के द्वारा रोजगार की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना अवधि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। रोजगार में गांव के स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर काम में प्राथमिकता दिया जायेगा। शिक्षित युवकों को कम्प्यूटर ऑपरेटर, वृक्षारोपण हेतु माली एवं खनन, लोडिंग इत्यादि के लिए स्थानीय मजदूरों को लगाया जायेगा।
3.	श्री कुलदीप यादव, पंचशीला चान्दन, बाँका के द्वारा रोजगार के अवसर की जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना अवधि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। रोजगार में गांव के स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर काम में प्राथमिकता दिया जायेगा। शिक्षित युवकों को कम्प्यूटर ऑपरेटर, वृक्षारोपण हेतु माली एवं खनन, लोडिंग इत्यादि के लिए स्थानीय मजदूरों को लगाया जायेगा।
4.	मो० नईमुल अंसारी, वार्ड सदस्य, वटभरा, तैतरिया, बाँका के द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये। 1. भूजल स्तर नीचे जाने से रोकने का क्या उपाय किया जायेगा। 2. मानक से अधिक गहराई तक खनन न किया जाय। 3. गरीब मजदूरों को खनन कार्य में लगाया जायेगा। 4. गरीबों को मुफ्त में बालू दिया जाय।	प्रतिवर्ष बालू उठाव की मात्रा निर्धारित है। हर वर्ष पुर्नभरण अध्ययन करके बालू की उपलब्ध मात्रा का पता लगाया जाता है। अधिकतम 3 मीटर अथवा भूजल स्तर के उपर तक ही खनन की अनुमति है। प्रस्तावित परियोजना में अर्द्धयांत्रिक विधि से खनन कराया जायेगा जिसमें स्थानीय मजदूरों को रखा जायेगा। बालू का दर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियम विरुद्ध अथवा अवैध खनन की शिकायत जिला प्रशासन एवं जिला खनिज विकास पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है।
5.	श्री आकाश आनंद, बाँका के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना अवधि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। रोजगार में गांव के स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर काम में प्राथमिकता दिया जायेगा।
6.	श्री संजीव सिंह, मौजा-टोना पाथर, बाँका के द्वारा मानक के अनुरूप एवं नियमानुसार	प्रस्तावित परियोजना में नियमानुसार खनन कराया जायेगा जिससे अवैध खनन रुकेगा साथ ही क्षेत्र


५

खनन कराये जाने का अनुरोध किया गया।	का विकास तेजी से हो सकेगा एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।
------------------------------------	---

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष महोदया के द्वारा बताया गया कि बालू का नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदया के द्वारा नियमानुसार खनन किये जाने तथा प्रस्तावित खनन में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर देने के लिए प्रस्तावक को निदेशित किया गया। अध्यक्ष महोदया के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी।











लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सफलतापूर्वक समाप्त करने की घोषणा की गयी।


25-7-2027
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्वद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०),
बाँका

उपस्थिति सूची

मेसर्स मैटिक्यूलस ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (दीपेंद्र सिंह), 53, कांताघर पचपेंडा, आशिक कांताघर, पचपेंडा, मुरादाबाद, उ०प्र०-244001 द्वारा बडुआ नदी यूनिट सं०-03 बालू घाट, मौजा-कुसवावसीला, ब्लॉक-चान्दन, जिला-बाँका का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.07.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार चान्दन, जिला-बाँका में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Batibha Kumar	ADM (P&R) Banka	 25/07/23
2.	Shambhu Nath Jb	Regional Officer Bhagalpur B. S. P. C. B.	 25-7-2023
3.	KUMAR RANJAN	MINERAL DEVELOPMENT OFFICER BANKA MINES & GEOLOGY DEPT., GOB.	 25/07/23
4.	Awasathesh Kumar	Mines Inspector Banka	 25/07/23
5.	Nishith Chandan	C.O. Chandan	 25/07/23
6.	Ankit Kumar	BDO Chandan	 25/07/23
7.	इंद्रदेव गजेल	मुजिफा सांपत-39- कुसवा जिला	 25/07/23
8.	अनुराज कुमार	टीनो पायल	 25/07/23
9.	कुमारी पारुला	कुमारी पारुला	 25/07/23
10.	मनोज कुमार	अनुराज	 25/07/23

11.	सु लो यादव	बेलहर, बाँके	सु लो यादव
12.	आकाश आनंद	Banka, बाँके	Annam
13.	बालकृष्ण	बाँके	Bal Krishna
14.	Deepak Kumar	बाँके	Deepak Kumar
15.	सुरेश कुमार	इनारावरण (बाँके)	Suresh Kumar
16.	बीराम्बर कुमार	इनारावरण (बाँके)	Birambar Kumar
17.	Gauri Shukla	बाँके	Gauri Shukla
18.	सुरेश कुमार	बाँके	Suresh Kumar
19.	Veeru Kumar	churdam	Veeru Kumar
20.	Aditya ANAND	बाँके	Aditya ANAND
21.	Vikash Kumar	Banka	Vikash Kumar
22.	मिलन कुमार	Banka	Milan Kumar
23.	Milan Kumar	Banka	Milan Kumar
24.	Santosh Kumar	D-K Bank	Santosh Kumar
25.	मनोद कुमार	इनारावरण	मनोद

26.	Chandran	Chandran	Chandran
27.	सुनील प्रमोदी	गौरीकोठी	सुनील प्रमोदी
28.	सुनील प्रमोदी	ग्राम - गोविंदपुर - पाकि	सुनील प्रमोदी
29.	Mr. Sharmistha	BSPCB, Patna	Sharmistha
30.	अमर शर्मा	ग्राम - पौराकोल	अमर शर्मा
31.	राम विलास शर्मा	देहरिया	राम विलास शर्मा
32.	जीवन शर्मा	- पौराकोल	जीवन शर्मा
33.	गोपाल शर्मा	पौराकोल	गोपाल शर्मा
34.	नाम कुमार	पौराकोल	नाम कुमार
35.	कमलेश्वरी शर्मा	मु. ग्राम पंच कटफेरा देहीपा	कमलेश्वरी
36.	मोहन शर्मा	ग्राम इमदीया	मोहन शर्मा
37.	मौजि काशीम अंसारी	ग्राम इमदीया	मौजि काशीम अंसारी
38.	के. लाल शर्मा	गौरीपुर	के. लाल शर्मा
39.	के. लाल शर्मा	गौरीपुर	के. लाल शर्मा
40.	शकुल कुमार	"	शकुल कुमार

41.	दोहिन कुमार	गौतमशर्मा	दोहिन कुमार
42.	श्री कान्त शर्मा	चौरी कौल	श्री कान्त शर्मा
43.	दिलीप दास	पैलवा	दिलीप दास
44.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	Just 25/07/2023
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			